भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2445

जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026/24 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है।

कृषि आदानों पर जीएसटी संरचना का प्रभाव

2445. श्री बी. वाई. राघवेन्द्रः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उर्वरकों तथा अन्य कृषि आदानों पर लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संरचना के अंतर्गत किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है तथा ऐसे परिवर्तनों के उद्देश्य क्या हैं;
(ख) क्या सरकार ने इन परिवर्तनों के कार्यान्वयन के पश्चात् किसानों के लिए उत्पादन लागत, उपलब्धता तथा उर्वरकों के मूल्य निर्धारण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं; और
(ग) उर्वरकों की वहनीयता में सुधार तथा सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने की दृष्टि से उक्त सुधारों से अपेक्षित परिणाम क्या हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): सरकार ने 22.09.2025 से उर्वरकों और कृषि आदानों पर लागू माल और सेवा कर (जीएसटी) दरों को तर्कसंगत बनाया है। किए गए परिवर्तनों का विवरण निम्नानुसार है:

i. सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया जैसे प्रमुख कच्चे माल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया।
ii. सूक्ष्म पोषक-तत्वों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया।
iii. जैव-कीटनाशकों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
iv. ट्रैक्टरों और अन्य कृषि मशीनरी एवं उपकरणों पर जीएसटी दर 18% / 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।

महत्वपूर्ण कच्चे माल पर जीएसटी दरों को 18% से घटाकर 5% करने से उर्वरक उत्पादक इकाइयों, विशेष रूप से पीएंडके उर्वरकों का उत्पादन करने वाली इकाइयों के लिए उत्पादन की लागत कम हो जाती है। इससे लंबे समय से चली आ रही विपरीत शुल्क संरचना, जिसमें आदानों पर अंतिम रूप से तैयार उर्वरक उत्पादों की तुलना में अधिक दर पर कर लगाया जाता था, को सही करने में मदद मिलेगी। कर के भार को कम करने से कार्यशील पूंजी का दबाव कम होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट

(आईटीसी) का कम संचय होता है और नकदी प्रवाह में सुधार होता है, जो सब्सिडी प्रतिपूर्ति पर उद्योग की निर्भरता को देखते हुए महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म पोषकतत्व उर्वरकों पर जीएसटी 12% से घटकर 5% होने से किसानों को अपनी प्रति एकड़ खेती की लागत कम करने से मामूली वित्तीय राहत मिली है। किफायत बढ़ी है, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान, जो प्राय: इनपुट मूल्य में उतार-चढ़ाव से प्रभावित होते हैं। कम इनपुट लागत होने से किसानों के लिए सूक्ष्म पोषकतत्वों की अनुशंसित खुराक को अपनाना आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो जाता है। इंडियन माइक्रो-फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अनुसार, जीएसटी के 12% से घटकर 5% होने से किसानों को धान में प्रति एकड़ 140 रुपये, गन्ने में प्रति एकड़ 199 रुपये, आलू में प्रति एकड़ 446 रुपये और गेहूं में प्रति एकड़ 146 की बचत होगी।

भारत में संधारणीय कृषि और पर्यावरण अनुकूल फसल संरक्षण पद्धतियों पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जैव-कीटनाशकों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करना एक प्रगतिशील और पर्यावरण के प्रति सजग नीतिगत उपाय है। जीएसटी कम होने से किसानों के लिए बायो-कीटनाशक अधिक किफायती और सुलभ हो जाएंगे, जिससे फसल को बचाने के लिए किफायती समाधान के रूप में उनके अधिक उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। इनपुट लागत के कम होने से एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) पद्धतियों को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें जैव-कीटनाशक कीट प्रतिरोध को कम करने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्रतिस्पर्धी कीमतों से सिंथेटिक रासायनिक कीटनाशकों के मुकाबले अधिक सुरक्षित जैविक विकल्पों को अपनाने में मदद मिलेगी। कर में राहत मिलने से सीधे तौर पर ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती पर सरकार की पहल को मदद मिलेगी, जो संधारणीय और अवशिष्ट मुक्त कृषि के विजन के अनुरूप है। मैकेनिकल स्प्रेयर, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई प्रणाली और नोजल पर जीएसटी 12% से घटकर 5% होने से परिशुद्ध कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। इस सुधार से पौधे का संरक्षण और सिंचाई उपकरण अधिक किफायती होंगे, जिससे किसानों को छिड़काव की वैज्ञानिक पद्धतियों और कीटनाशकों के कुशल अनुप्रयोग की प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। परिणामस्वरूप स्प्रे दक्षता बेहतर होने से बर्बादी कम होने, पर्यावरणीय संदूषण कम होने और फसल संरक्षण उपायों की समग्र प्रभावशीलता के बढ़ने की संभावना है।

जीएसटी कम होने के परिणामस्वरूप ट्रैक्टर, पावर टिलर, हार्वेस्टर, थ्रेशर और अन्य आवश्यक कृषि मशीनरी और उपस्करों की खरीद लागत कम हो गई, जिससे वे किसानों के लिए अधिक किफायती और सुलभ हो गए। जब इसे कृषि मशीनीकरण योजनाओं जिनमें कृषि संबंधी मशीनों की खरीद के लिए 40-50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है, के अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय सहायता के साथ जोड़कर देखा जाए, तो किसानों को कराधान में कमी और वित्तीय सहायता का दोहरा लाभ मिलेगा। इससे न केवल व्यक्तिगत तौर पर किसानों पर वित्तीय बोझ कम हुआ है, बल्कि किसान समूहों, सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को भी कम परियोजना लागत पर अधिक संख्या में कस्टम हायरिंग सेंटर और कृषि मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इस सक्रिय कदम से मशीनीकरण की गति को तेजी मिलेगी और समावेशी एवं संधारणीय कृषि विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सार्थक योगदान मिलेगा। इस कदम से घरेलू उत्पादकों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर बनाकर 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन के अनुरूप स्वदेशी कृषि मशीनरी निर्माताओं को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। ट्रैक्टरों और अन्य कृषि मशीनरी पर जीएसटी दर 12-18% से घटकर 5% होने से ट्रैक्टरों और कृषि मशीनरी की कीमतों में 7-13% की कमी आएगी।

****